बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना
{Phone- 0612-2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 06/2024–25

1. विभाग का नामः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समयः 08.02.2025 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः 08.02.2025 को 3.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 08.02.2025 को 4.00 बजे अपराह्न तक।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के परिसर में स्थित झील में उपलब्ध मछलियों की निकासी एवं क्रय	रू० 5,000/– (पाँच हजार)	रू० 200/– (दो सौ) प्रति।

निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेष जानकारी के लिये निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/forest** पर देखा जा सकता हैं।

21/01/2025

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना
{Phone- 0612-2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 06/2024–25

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के परिसर में स्थित झील में उपलब्ध मछलियों की निकासी एवं क्रय हेतु निविदा की शर्तें।

1. संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के परिसर में स्थित झील में उपलब्ध मछलियों की निकासी एवं क्रय के लिये दिनांक 08–02–2025 के 3.00 बजे अपराह्न तक विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकर्त्ता लिफाफे पर ''मछलियों की निकासी एवं क्रय के लिये निविदा'' अंकित करेंगे।
2. निविदा का प्रपत्र एवं शर्तों की प्रति निदेशक कार्यालय से रूपये 200/–(दो सौ) प्रति की दर से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदाकर्ता 'तकनीकी बिड' (प्रपत्र 'क') तथा 'वित्तीय बिड' (प्रपत्र 'ख') दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी बिड के लिफाफे पर 'तकनीकी बिड' तथा उसपर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय बिड' के लिफाफे पर 'वित्तीय बिड' लिखकर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' के दोनों लिफाफे रहेंगे उसपर ''मछलियों की निकासी एवं क्रय के लिए निविदा'' अंकित कर अपना नाम, पत्राचार का पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करेंगे।
4. प्राप्त निविदायें दिनांक 08–02–2025 को 04.00 बजे अपराह्न में निविदाकर्त्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्त्ता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।
5. निविदाकर्त्ता अपनी निविदा के साथ रूपये 5,000/– (पाँच हजार) की सत्यंकार राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में होना चाहिये। सत्यंकार राशि के बगैर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। सफल निविदाकर्त्ता के द्वारा जमा यह सत्यंकार राशि, जमानत राशि के रूप में रख ली जाएगी जो सफल निविदा समाप्ति पर लौटाई जाएगी। निविदा के अन्तिम निर्णय होने के दो सप्ताह के बाद असफल निविदाकर्त्ता सत्यंकार राशि वापस ले सकते हैं।
6. झील की मछलियों के निष्कासन गुरूवार/शनिवार की रात्रि में ही होगा।
7. झील की मछलियों के निष्कासन की पूरी व्यवस्था सफल निविदाकर्त्ता को स्वंय करनी होगी एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे वजन मशीन पर तौलना होगा।
8. मछली निष्कासन के बाद मछली का जो भी वज़न आएगा, सफल निविदाकर्त्ता स्वीकृत दर के अनुसार उतनी राशि अविलम्ब जमा करेंगे। उसके उपरान्त ही मछली उद्यान से बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
9. यदि सफल निविदाकर्त्ता वज़न किये गये मछलियों की पूर्ण राशि तुरंत जमा नहीं करते हैं या किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं अथवा एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा अग्रधन/जमानत की राशि राज्यसात कर ली जाएगी तथा मछली निकासी बंद कर दी जायेगी।
10. झील से मछली की निकासी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के आदेश एवं शर्त्तों पर समय–समय पर करनी होगी।
11. मछली निकालने हेतु सफल निविदाकर्त्ता का कोई व्यक्ति उद्यान में आवासन नहीं करेगा और न ही किसी तरह की झोपड़ी या टेंट लगायेगा।
12. मछली निष्कासन एवं उसका वजन उद्यान के अधिकृत पदाधिकारी /कर्मचारी के सामने करना होगा। मछली की निकासी बड़े छिद्र वाले जाल से करनी होगी, जिससे कि आधा किलो से कम वजन की मछली की निकासी नहीं हो।

21/01/2025

13. निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी निविदा के प्रपत्र 'क' के साथ अग्रधन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट, पता और पहचान हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का नमूना संलग्न करेंगे।
14. निविदाकर्त्ता अपनी वित्तीय निविदा के प्रपत्र 'ख' में अंक एवं अक्षरों में प्रति किलो मछली का दर अंकित करेंगे। अंक एवं अक्षर में अंकित दर में अंतर पाया जाता है तो अक्षर में लिखा हुआ दर मान्य होगा।
15. अधिकतम दर अर्पित करने वाले निविदाकर्ता (एच–1) को सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाएगा।
16. यदि दो या अधिक निविदाकर्त्ता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है, तो निविदा का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।
17. सफल निविदाकर्त्ता को उद्यान के नियमों का पालन करना होगा और उसके उल्लंघन के लिये निविदाकर्त्ता दंड के भागी होंगे। प्रत्येक दोष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 5000/– (पाँच हजार रूपये) होगी। सफल निविदाकर्ता की जमानत राशि राज्यसात की जा सकती है एवं उन्हें कृष्णचिन्हित् किया जा सकता है।
18. निविदा प्रपत्र में निविदकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा निविदा के सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।
19. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें।
20. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

21/01/2025

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना
{Phone- 0612-2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 06/2024–25

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के परिसर में स्थित झील में उपलब्ध मछलियों की निकासी एवं क्रय हेतु निविदा का तकनीकी बिड।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदार्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदाकर्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा परिमाण मूल्य से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। वेबसाईट से निविदा प्रपत्र अपलोड करने की स्थिति में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में निर्गत रू० 200/– का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।		
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में निर्गत रू० 5,000/– (रूपये पाँच हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।		
3	पता और पहचान हेतु आधार कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर (मूलरूप में)।		

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

निविदाकर्त्ता का नामः–

पूरा पताः–

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना
{Phone- 0612-2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 06/2024–25

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के परिसर में स्थित झील में उपलब्ध मछलियों की निकासी एवं क्रय हेतु निविदा ।

निविदा प्रपत्र–ख (वित्तीय बिड)

संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना, की झील में उपलब्ध सभी प्रकार की मछलियों का निष्कासन कर क्रय के लिए रूपये .... (रूपये ....) प्रति किलोग्राम की दर से अपना ऑफर समर्पित कर रहा हूँ।

2. मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया एवं समझा है तथा मैं सभी शर्तो को स्वीकार करता हूँ।
3. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा शर्त के अनुसार जमानत की राशि जमा करूंगा एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करूँगा तथा निविदा शर्त के अनुसार उद्यान की झील से मछलियों की निकासी मेरे द्वारा की जायेगी एवं वजन किये गये मछलियों की पूर्ण राशि मैं तुरंत जमा कर दूँगा। यदि वजन किये गये मछलियों की कीमत तुरत जमा करने में विफल रहूँगा तो निवदा शर्त के अनुसार मेरे विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
4. मेरे द्वारा उपर लिखित पते पर जो भी पत्राचार किया जायेगा वह मुझे स्वीकार्य होगा।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

निविदाकर्त्ता का नामः–

पूरा पताः–